



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/211-12/

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of Grant of Dearness Relief to pensioners/Family pensioners
of Jharkand orders issued - Reg.

Ref: 1.AG (A&E) Jharkand Ir.No.Pen.III-Jharkhand/DR/SSA/2011-12/2295
Dt.02-06-2011

2.Govt. of Jharkand Fin. & plg 6-A (Dearness Relief)-03/09 813dt.25-04-
2011.

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant
General (A&E), Jharkand in the reference 2nd cited. The same is being placed in the
official website of this office (www.ag.ap.nic.in). I am to request you to direct all the
District Treasury Officers to download the orders and take necessary action to
minimise hardship to the pensioners of the state concerned.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer.

Copy to:
The Joint Director
Pension Payment Officer
Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

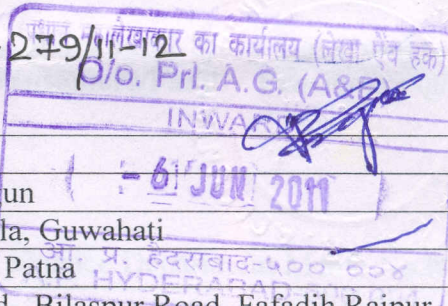
Sr. Accounts Officer.

**BY SPEED POST**

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No. Pen-11/Jharkhand/DR/SSA/2011-12/ 2295

Dated:-02/06/2011

SPECIAL SEAL AUTHORITY -

1	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500463
2	Director of Audit & Pension Govt of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih Raipur	492009
6	Deputy Director of Accounts / P.A.I. Govt of Goa Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No.4&5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No.5329/5369 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No.5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar Aizawl	796001
19	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhavan, Deorali, PO-Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura PO-Kunjaban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.2, Govt Place (West) Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhavan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Contd. - 2/-

08/60
08275865 6
2/6

- Sûb:-** 1. Grant of Dearness Relief to the Jharkhand Government Pensioners/Family Pensioners @ 51% on Pension/Family Pension with effect from-01-01-2011 (Enhanced from 45% to 51%)
2. Enhancement in rate of Dearness Relief with effect from-01-01-2011 to the Unrevised Pay Scale of the Jharkhand State Government Employee.
3. Rectification of rate of Dearness Allowances Payable to Jharkhand State Government Employee.
4. Rectification of rate of Dearness Allowances Payable to Jharkhand State Government Employee (Grant of Dearness Relief to Jharkhand Govt Pensioners/Family Pensioners @ 54% w.e.f-01-07-2008, enhanced from-47% to 54%)

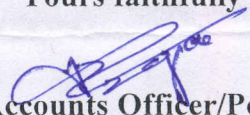
Sir,

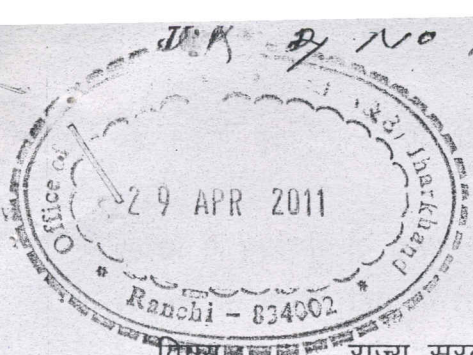
I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department Memo No. वि. प्र. 6 A (Dearness Relief)-03/09/812/813/814 Dated 25/04/2011 and Memo No.-3/M-8-01/2000-3049/B Dated -18/10/08 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As Stated above


Sr. Accounts Officer/Pen-III



संख्या : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09.....

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक.....

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(ए.) (बी.) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या-42/15/2011 पी. एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी.) दिनांक 29.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 51% (एकावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई राहत 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 51% (एकावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन पर किया जायेगा। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। विहित दर पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर लिया जायेगा।

6. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि., दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त

सुबहदेव 183

Mr. Surin

158

26/4/11

6072003
4-2143

है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-I के नियम-344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

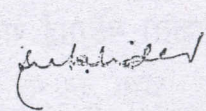
9. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

10. दिनांक 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति के पश्चात् झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

 18/3
1104

(सुखदेव सिंह)

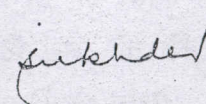
सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची

राँची, दिनांक 25/4/11

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.म.)-03/09..... 8/3/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 18/3
1104

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची

संख्या : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 25/4/11

संकल्प

विषय :

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संकल्प की कंडिका-15(E) एवं तदोपरांत वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कर्मियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में सम्मिलित नहीं होने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावे कतिपय पद/सेवा का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। फलस्वरूप वे अपुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

3. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या 1(3)/2008-ई-II (ख), दिनांक 31.03.2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 103% (एक सौ तीन प्रतिशत) से बढ़ाकर 115% (एक सौ पन्द्रह प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महँगाई भत्ता के दर में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के वैसे संवर्ग/कर्मी जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा जिनके वेतनमात्रों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से अपुनरीक्षित मूल वेतन (मूल वेतन+महँगाई वेतन) का 115% (एक सौ पन्द्रह प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

5. झारखंड सेवा संहिता के नियम 34 (ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन (मूल वेतन + महँगाई वेतन) पर महँगाई भत्ता देय होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त गत्यावरोध वेतन वृद्धि पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

L-2142

25/04

7. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतये राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Subhash 83
M04

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09

8/14/97

राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subhash 83
M04

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09

8/14/97

राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subhash 83
M04

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09

8/14/97

राँची, दिनांक 25/4/11

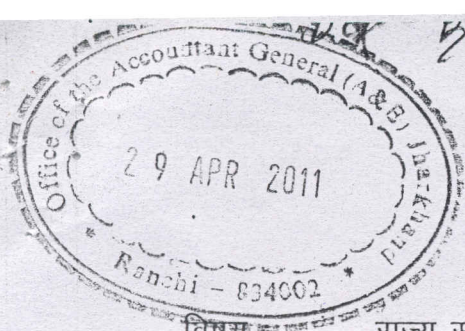
प्रतिलिपि : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

Subhash 83
M04

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।



संख्या : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक 25/4/11

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-15 (ई.) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या-1(2)/2011-ई-II (बी.), दिनांक 24.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की मौजूदा दर को 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 51% (एकावन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से मूल वेतन का 51% (एकावन प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

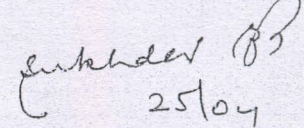
4. झारखंड सेवा संहिता के नियम-34(ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार-पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

6. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़कर दिया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार एवं झारखंड, पटना/राँची को प्रेषित किया जाये।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


25/04

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

154
26/4/11
Mr. Gurin
Revision 3
L-2141

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक... 18/8/18

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के सेवकों का देय महँगाई भत्ते की दरों में संशोधना

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि0, दिनांक 08.02.1999 द्वारा राज्य के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका 18 के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापांक-1276/वि0 दिनांक 03.05.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2008 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन का कुल 47 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(व्यय) के ज्ञापांक-एफ सं0-1(3)/2008-ई0-II(वी0), दिनांक 03.10.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को (Pre Revised Scale) दिनांक 01.07.2008 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की मौजूदा दर को 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने सेवीवर्ग को पुनरीक्षित वेतनमान(दिनांक 01.01.96) में दिनांक 01.07.2008 के प्रभाव से मूल वेतन(मूल वेतन + महँगाई वेतन) का 54 प्रतिशत महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. मंत्री एवं मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों द्वारा नियुक्त बाह्य व्यक्तियों को भी उपर्युक्त दर से महँगाई भत्ता देय होगा।

5. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 34(ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त गत्यावरोध वेतन वृद्धि पर महँगाई भत्ता देया होगा; किन्तु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार-पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबन्धिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

7. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो तो अलगे उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार एवं लेखा एवं हक(बिहार एवं झारखण्ड, पटना/राँची) को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(शिव शंकर तिवारी)

सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड राँची

ज्ञापांक 3/शः-८-०१/२०००- 3049/वि०

दिनांक... 1.8/01.17

प्रतिलिपि- महालेखाकार(लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखण्ड, वीर चंद पटेल पथ, पटना/हिन्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव शंकर तिवारी)

सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक 3/शः-८-०१/२०००- 3049/वि०

दिनांक... 1.8/01.18

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सभी मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव शंकर तिवारी)

सरकार के उप सचिव

राँची।